न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 74 / 2024

जीसीएमएस नम्बरः–2024 / 106

सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

————————————प्रार्थी

बनाम

विलसाराम पुत्र मौजी जाति कुम्हार निवासी जाटौली तहसील व जिला धौलपुर———— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती अधीन धारा–136 राजस्थान लण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थितिः– पैरोकार सरकार प्राथी की ओर से

दिनांक – 21.10.2024

निर्णय

प्रार्थी सरकार तहसीलदार धौलपुर की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते इन्द्रांज दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड बावत् अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आश्य का पेश किया गया कि प्रार्थी विलसाराम पुत्र मौजी जाति कुम्हार निवासी जाटौली ने अपने नाम शुद्धि बावत आवेदन किया है। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजो की जांच की गई। जांच करने पर पाया गया कि बांके ग्राम जाटौली के खाता संख्या 202 के ख0नं0 559 किता 5 पर प्रार्थी का नाम रामविलास पुत्र मौजी जाति कुम्हार सा0देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जो जरिये नामा0 संख्या 1360 से प्रार्थी के पिता मौजी की विरासत खोलते समय प्रार्थी का नाम रामविलास दर्ज किया गया जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो बैंक पास–बुक, आधार कार्ड, राशनकार्ड में नाम विलसाराम पुत्र मौजी दर्ज रिकॉर्ड है। आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र व मौका पर्चा के अनुसार विलसाराम पुत्र मौजी व रामविलास पुत्र मौजी एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का सही नाम विलसाराम पुत्र मौजी सही है। प्रार्थी का नाम रामविलास पुत्र मौजी विरासत का नामा0 दर्ज करते समय गलत दर्ज हो गया है। अतः ग्राम जाटौली के खाता संख्या 202 पर रामविलास के स्थान पर विलसाराम पुत्र मौजी शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। सह खातेदारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। सहखातेदारान की ओर से श्री धीरज शर्मा एडवोकेट ने वकलतनामा पेश किया। सहखातेदारान द्वारा कोई आपत्ति पेश नही की। दिनांक 21.10.2024 को सहखातेदारान की ओर से किसी के उपस्थित नही होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र के साथ मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का एंव सरपंच ग्राम पंचायत जाटौली , विलसाराम पुत्र मौजी राम जाति प्रजापति निवासी ग्राम जाटौली धौलपुर का शपथ पत्र एंव शुद्धि हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया। बैंक पास बुक बडौदा राज0 क्षेत्रीय

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

ग्रामीण बैंक, टी0सी0 प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (ओ0बी0सी0) एंव राशनकार्ड की छायाप्रति पेश की।

बहस पैरोकार सरकार सुनी गई। पैरोकार सरकार ने रामविलास पुत्र मौजी तथा विलसाराम पुत्र मौजी एक ही व्यक्ति होना कथन करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में रामविलास पुत्र मौजी का नाम विलसाराम पुत्र मौजी करने का कथन किया। बहस सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रामविलास पुत्र मौजी नाम का ग्राम जाटौली में कोई अन्य व्यक्ति नही होना बताया है। तथा रामविलास पुत्र मौजी एंव विलसाराम पुत्र मौजी एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है तथा प्रार्थी के प्रस्तुत दस्तावेजातों की प्रति में भी विलसाराम पुत्र मौजी नाम दर्ज है।

अतः तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण एवं पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट एंव प्रस्तुत दस्तावेजों की छायाप्रति के आधार पर खाता संख्या 202 ख.नं. 559, 560, 562, 572, 581/1008 वाके ग्राम जाटौली तहसील धौलपुर में खातेदार रामविलास पुत्र मोजी हिस्सा 4/27 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के स्थान पर विलसाराम पुत्र मौजी हिस्सा 4/27 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार शुद्ध किये जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश तहसीलदार धौलपुर को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर राज0

नोट:- अंतिम पैराग्राफ की चौथी व पांचवी लाइन में हिस्सा 4/27 के स्थान पर हिस्सा 1/24 पढा जावे/ आदेश आज दिनांक 11/11/2024 से संशोधन किया गया/

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर